न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश संख्या, 02, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी	:	मिनाक्षी मीणा, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	04 / 2026 दीवानी अपील आदेश (सीआईएस नं. 04 / 2026)

रूपों पुत्री नारायणराम पत्नी वागाराम, निवासी जांगुओं की ढाणी, तहसील बाटाडु, जिला बाड़मेर, हाल निवासी भूंका भगतसिंह, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

अपीलकर्ता / प्रार्थी

वि रू द्ध

01. हनुमानराम उर्फ हडुमानराम पुत्र विरदाराम, निवासी जांगूओं की ढाणी, तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर।
02. अणचीदेवी पत्नी गंगाराम,
03. अणसीदेवी पत्नी किस्तुराराम,
04. पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम,
05. भूराराम पुत्र चिमनाराम,
06. हरखाराम पुत्र किस्तुराराम,
    निवासीयान जांगूओं की ढाणी, तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर।
07. तहसीलदार, बाटाडू, जिला बाड़मेर।
08. उपपंजीयक, बाटाडू, जिला बाड़मेर।

उतरदातागण / अप्रार्थीगण

दीवानी अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 01 व 02 सपठित धारा 104 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 01.07.2026, जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 01, बाड़मेर ने दीवानी विविध प्रकरण संख्या 44 / 2026 अनवान् रूपों बनाम हनुमानराम व अन्य में अस्थायी निषेधाज्ञा में अंतरिम निषेधाज्ञा अस्वीकार करने बाबत् पारित किया गया

उपस्थितः

01. श्री प्रेम प्रजापत, विद्वान वकील अपीलकर्ता की ओर से।

02. श्री डूंगरसिंह महेचा, विद्वान वकील उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।

03. श्री दानसिंह राठौड़, विद्वान वकील उत्तरदाता संख्या 02 से 04 की ओर से।

04. श्रीमती अनामिका सांदू, राजकीय वकील उत्तरदाता संख्या 07 व 08 की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक : 18.08.2026

1. हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.07.2026 के विरूद्ध श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जो सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी की प्रार्थना बाबत् अंतरिम निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. अंतरिम आदेश का अवलोकन किया।

3. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलकर्ता द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2026 को जो आलौच्य अंतरिम आदेश पारित किया गया, वह व्यावहारिक नहीं है एवं न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार ही नहीं किया गया कि यदि विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं करवाया गया तो अपीलार्थी रूपो का दावा पेश करने व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा एवं अति–आवश्यक परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम व्यादेश पारित किया जाना उचित होते हुए भी प्रार्थना अस्वीकार की गयी है । ऐसे में आलौच्य आदेश दिनांक 01.07.2026 को अपास्त कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया ।

4. प्रत्यर्थी हनुमानराम वगैरा की ओर से जरिये अधिवक्ता यह निवेदन किया गया कि दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है एवं जो हकतर्कनामा पत्रावली पर संलग्न है, वह एक पंजीकृत दस्तावेज है, जो कि स्वयं प्रार्थीया और अप्रार्थी संख्या 01 हनुमानराम के बीच स्वैच्छया से रचा गया था, परन्तु अब जमीनों के भाव बढ़ जाने की वजह से प्रार्थीनी के मन में लालच आ गया है और उसने विचारण न्यायालय के समक्ष झूठा दावा पेश कर दिया । इस स्तर पर ऐसी कोई परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं, जिनमें अपीलार्थी रूपों को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने की आवश्यकता हो । अतः प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. दिये गये तर्कों पर विचार किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान में अस्थायी निषेधाज्ञा के

प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रत्यर्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है, अपितु आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया व इसी दौरान प्रार्थीया रूपो द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की गयी कि चूंकि विप्रार्थी हनुमानराम ने प्रश्नगत सम्पत्ति धोखाधड़ी से अपने पक्ष में दर्ज करवा ली है । ऐसे में वह राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने के प्रयास में है, जिसने प्रार्थीया को मौके पर काश्त करने से भी रोक दिया है । अतः प्रत्यर्थी पक्ष को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह प्रश्नगत भूमि को अन्यत्र बेचान व अंतरित नहीं करें । अप्रार्थी का इस संबंध में कथन रहा कि मात्र लालचवश दावा पेश किया गया है, जो हकतर्कनामा प्रार्थी द्वारा रचा गया है, वह स्वैच्छया से बिना किसी दबाव के रचा गया था एवं इस हकतर्कनामा का गवाह राजूराम का अपने पिता से झगड़ा हो जाने के कारण वह हनुमानराम के विरूद्घ झूठे तथ्य व्यक्त कर रहा है । विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया गया कि हकतर्कनामा धोखाधड़ीपूर्वक रचा गया है या नहीं, यह तथ्य बाद साक्ष्य तय किया जायेगा, परन्तु चूंकि पत्रावली पर जवाब आना शेष है, ऐसे में प्रारम्भिक स्तर पर न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित करना उचित नहीं पाया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी रूपो द्वारा मात्र यह संभावना व्यक्त की गयी है कि प्रत्यर्थी हनुमानराम प्रश्नगत सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है, परन्तु इस संबंध में हनुमानराम द्वारा क्या प्रयास किये गये, वह कौनसा कृत्य किया गया, जिसकी वजह से रूपों को यह प्रतीत हुआ कि हनुमानराम सम्पत्ति को अन्यत्र अंतरित करना चाहता है, स्पष्ट नहीं किया गया है । साथ ही वर्तमान में ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, जो यह दर्शित करें कि मौके पर रूपों का भौतिक कब्जा मौजूद हो एवं यह स्थिति भी स्पष्ट है कि अभी अप्रार्थी पक्ष का जवाब पत्रावली पर नहीं आया है । ऐसे में विचारण न्यायालय के समक्ष वह आपात स्थिति ही स्पष्ट नहीं हो पायी, जिसमें अंतरिम व्यादेश दिया जाना आवश्यक प्रतीत हो, ना ही इस न्यायालय के समक्ष उक्त आपात स्थिति स्पष्ट हो पायी है । ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा किये गये आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना दर्शित नहीं हो रहा है । विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत होने से न्यायालय उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है ।

आदेश

6. परिणामतः अपीलार्थी/प्रार्थी रूपों की ओर से उत्तरदातागण/अप्रार्थीगण हनुमानराम व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत गई अपील अस्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 01, बाड़मेर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 44/2026 अनवान् रूपों बनाम हनुमानराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.072026 को पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जाए।

(मिनाक्षी मीणा)

7. आदेश आज दिनांक 18.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)